प्रेस विज्ञप्ति
28.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में 27.06.2025 को 15.78 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि, भवन और होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर के संचालन से उत्पन्न आय शामिल है, जो सभी पटनीटॉप में स्थित हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा पटनी टॉप क्षेत्र में होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट/कॉटेज/निवासों के विभिन्न मालिकों/निदेशकों और पीडीए के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, कि ऐसे होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण, निषिद्ध क्षेत्रों (घने जंगल, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र) आदि में व्यवसाय संचालित करने में लिप्त थे, जिसमें पीडीए अधिकारियों द्वारा अनुपालन की खामियों को नजरअंदाज किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर का निर्माण पीडीए द्वारा अनुमति प्राप्त क्षेत्र से बाहर किया गया था। उक्त होटलों ने स्वीकृत सीमा से परे अवैध निर्माण किया था, जबकि उसी का उपयोग करके राजस्व अर्जित किया था।

इससे पहले, इस मामले में, जनवरी, 2025 में, ईडी ने होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स, पटनीटॉप और होटल ग्रीन ऑर्किड, पटनीटॉप की भूमि और भवन सहित 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।

आगे की जांच जारी है।

होटल शाही संतूर

होटल पाइन हेरिटेज